प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

8

प्रशासान गांवो के संग अभियान–2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी सुमन सोनल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 13/2023 (पत्थर गड्डी)

1. कालूराम पुत्र सीताराम
2. छगनलाल पुत्र सांवरमल
3. नौरंगलाल पुत्र सांवरमल
4. पल्लुराम पुत्र सीताराम
5. हीरालाल पुत्र सांवरमल समस्त जाति भार्गव निवासीगण परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं(राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. किशोर पुत्र जगदीश
2. धनेश पुत्र महाबीर
3. नन्दलाल पुत्र जगदीश
4. भोलूराम पुत्र बंशीधर
5. मक्खन पुत्र जगदीश
6. मुरलीधर पुत्र बंशीधर
7. महेश पुत्र जगदीश
8. सावित्रि पत्नी महाबीर
9. सोनाराम पुत्र महाबीर समस्त जाति भार्गव निवासीगण परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं(राज0)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं(राज0)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र : अं.धारा 111, 128 रा0 भू0 रा0 अधिनियम
निर्णय

निर्णय दिनांक 06.06.2023

आवेदक द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि नई खाता संख्या 609 पुराना 111 की भूमि खसरा नम्बर 3948/2762 रकबा 0.3200है., खसरा नम्बर 3950/2764 रकबा 0.3300है., खसरा नम्बर 3952/2754 रकबा 0.2600है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100है. स्थित है जो प्रार्थीगण की भूमि है तथा इसी ग्राम में नई खाता संख्या 367 पुराना 111 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 3949/2762 रकबा 0.4200है., खसरा नम्बर 3951/2764 रकबा 0.3300है., खसरा नम्बर 3953/2754 रकबा 0.1600है. कुल किता 03 कुल रकबा 0.9100है. जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि की सीमाओं पर सहमति से पत्थरगड्डी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 10 के समक्ष प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि की सीमाओं का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अप्रार्थी संख्या 10 के आदेशानुसार पटवारी हल्का परसरामपुरा द्वारा दिनांक 25.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 10 के आदेश कमांक/10 दिनांक 24.04.2019 एवं आदेश कमांक 84 दिनांक 03.05.2018 की पालना में उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान किया गया जिसके अनुसार उक्त खसरा [illegible] 148 मीटर तथा एफ से ए भूजा 272 मीटर व ई से डी भूजा 220 मीटर तथा ए से [illegible] भूजा [illegible]08 मीटर व सी से डी भूजा 32 मीटर है प्रार्थीगण दिनांक 25.07.2019 को [illegible] के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि पर सहमति से पत्थरगड्डी करवाना चाहते है। राजस्व ग्राम [illegible]पुरा तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि नई खाता संख्या [illegible] पुराना 111 की भूमि [illegible]म्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:09:08 IST
Reason: SelfAttested

सुमन सोनल RAS
शिविर प्रभारी
प्रशासन गाँवो के संग अभि.2023, [illegible]
उपखण्ड अधिकारी नव[illegible]

3948/2762 रकबा 0.3200है., खसरा नम्बर 3950/2764 रकबा 0.3300है., खसरा नम्बर 3952/2754 रकबा 0.2600है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100है. स्थित है जो प्रार्थीगण की भूमि है तथा इसी ग्राम में नई खाता संख्या 367 पुराना 111 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 3949/2762 रकबा 0.4200है., खसरा नम्बर 3951/2764 रकबा 0.3300है., खसरा नम्बर 3953/2754 रकबा 0.6100है. कुल किता 03 कुल रकबा 0.9100है. की सीमाओं पर सीमाज्ञान दिनांक 25.07.2018 के अनुसार पत्थरगड्डी कायम करवाई जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी अनावेदक की गई। दिनांक 05.06.2023 को प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत ग्राम परसरामपुरा कैम्प में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान ने उपस्थित होकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी पर सहमति जाहिर की गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 3948/2762 रकबा 0.3200है., ख.न. 3950/2764 रकबा 0.3300है., ख.न. 3952/2754 रकबा 0.2600है. किता 3 कुल रकबा 0.9100है. की खातेदारी कालुराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/4, छगनलाल पुत्र सांवलमल हिस्सा 1/8, नोरंगलाल पुत्र सांवरमल हिस्सा 1/8, पल्लुराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/4, राधादेवी पत्नी सांवरमल हिस्सा 1/8, हीरालाल पुत्र सांवरमल हिस्सा 1/8 तथा ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 3949/2762 रकबा 0.4200है., ख.न. 3951/2764 रकबा 0.3300है., ख.न. 3953/2754 रकबा 0.1600है. किता 3 कुल रकबा 0.9100है. की खातेदारी किशोर पुत्र जगदीश हिस्सा 1/16, धनेश पुत्र महावीर हिस्सा 1/12, नन्दलाल पुत्र जगदीश हिस्सा 1/16, भोलूराम पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/4, मक्खन पुत्र जगदीश हिस्सा 1/16, मुरलीधर पुत्र बंशीधर हिस्सा 1/4, महेश पुत्र जगदीश हिस्सा 1/16, सावित्रि पत्नी महावीर हिस्सा 1/12, सोनाराम पुत्र महावीर हिस्सा 1/12 जाति भार्गव सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार नवगलढ ने उपस्थित होकर निवेदन किया है कि पक्षकार सहमत होने पर भूमि की पत्थरगड्डी करने पर कोई आपती नही है।

इस संबंध में प्रस्तुत फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.07.2019 को ग्राम परसरामपुरा के भूमि खसरा नम्बर 2762/0.53, 2764/0.33, 2754/0.04, 3949/2762/0.42, 3951/2764/0.33, 3953/2754/0.16, 3948/2762/0.32, 3950/2764/0.33,3952/2754/0.26 का सीमाज्ञान खातेदार एवं अन्य पडौसी खातेदारो की उपस्थिति में मौके का सीमा ज्ञान किया गया। चूंकि पूर्व में आवेदक की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान राजस्व कर्मियों द्वारा करवाया जा चुका है आवेदक अपनी काश्त भूमि की पत्थरगड्डी कराना चाहता है। अतः आवेदक का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकर किया जाता है।

–::आदेश::–

आवेदक का प्रार्थना पत्र पत्थर गडी स्वीकार किया जाता है। ग्राम परसरामपुरा के भूमि खसरा नम्बर 3949/2762/0.42, 3951/2764/0.33, 3953/2754/0.16, 3948/2762/0.32, 3950/2764/0.33, 3952/2754/0.26 का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगडी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आवागमन का प्रचलित रास्ता/सडक इस आदेश से बाधित नही होगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश आवेदक से नियमानुसार शुल्क जमा राज लिया जाकर उक्त भूमि की पत्थरगडी करवाई जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.06[illegible] मेरे हस्ताक्षर द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:09:08 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ